संख्या- 11 /2022/318जेएल/22-3-2022-100(138)/2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022*

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुनीर महताब पुत्र श्री महताब अली को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9208/सामा-1(4)/109/बिजनौर/2021, दिनांक 21-03-2022 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-5/2022/309जे0एल0/22-3-2022-100(138)/2016, दिनांक 16-03-2022 को संशोधित करते हुए केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुनीर महताब पुत्र श्री महताब अली को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, सोनभद्र में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-11 /2022/318जेएल(1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज / सोनभद्र/जौनपुर।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज/सोनभद्र।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज से जिला कारागार, सोनभद्र में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- अधीक्षक, जिला कारागार जौनपुर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in